प्रेस विज्ञप्ति

10 अक्टूबर, 2018

<u>जी.एस.टी प्रैक्टिशनरो के नामांकन के पुष्टिकरण हेतु परीक्षा</u>

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवँ नार्कोटिक्स (नासिन) केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017, के नियम 83(2) के अधीन जी.एस.टी. नेटवर्क पर नामांकित और नियम 83(1)(ख) के अधीन आने वाले जी.एस.टी. प्रैक्टिशनरों (जी.एस.टी.पी.) के नामांकन के पुष्टिकरण हेतु परीक्षा आयोजित कर रहा है। ऐसे जी.एस.टी.पी. का उक्त परीक्षा को 31.12.2018 के पहले उत्तीर्ण करना अपेक्षित है। ऐसे जी.एस.टी.पी. हेतु परीक्षा भारत में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर 31.10.2108 को प्रात: 11:00 बजे से अपराह्न 13:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। कृपया इस संबंध में 17 सितम्बर 2018 की प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें।

इस परीक्षा हेतु योग्य जी.एस.टी.पी. द्वारा पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण 25 सितम्बर, 2018 को शुरू हो चुका है, जिसका लिंक नासिन और सीबीआईसी की वैबसाइट पर "GSTP Exam Registration" टैब पर उपलब्ध है।

पंजीकरण की अंतिम तिथि जोकि 10 अक्टूबर, 2018 थी, उसको 15 अक्टूबर 2018 (11:59:59: अपराहन) तक बढ़ा दिया गया है। सभी योग्य अभ्यर्थियों से निवेदन है की वे स्वयं को परीक्षा पंजीकरण पोर्टल पर शीघ्र पंजीकृत करवाएँ।
(https://nacin.onlineregistrationform.org/NACIN/LoginAction_loadIndex.action)

*****